रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2013/श्रावण 8, 1935
No. 380] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2013/SRAVANA 8, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 8 मई, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 516(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(ii) प्रत्येक संशोधन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू माने जायेंगे।@

2. विनियम 2 में संशोधन

विनियम 2 में, खंड (एफ) में, "इक्विटी में अंशदान के रूप में प्रत्यक्ष निवेश की राशि और ऋण और गारंटियों की राशि का 100 प्रति शत" शब्दों को निम्नलिखित शब्दों "इक्विटी को अंशदान के रूप में प्रत्यक्ष निवेश की राशि, ऋण और गारंटियों की राशि का 100 प्रति शत और निष्पादन गारंटियों का 50 प्रति शत" से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे 27 मई 2011 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

3337 GI/2013

3. विनियम 6 में संशोधन

ए. विनियम 6 में, उप-विनियम 2 (i) में,

(ए) उप-खंड (ई) के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 27 मई 2011 से अंतर्विष्ट किया गया है:

"**(एफ)** भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम(जेवी) / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को अथवा उनकी ओर से जारी निष्पादन गारंटी के मूल्य का पचास प्रति शत ।

स्पष्टीकरण: ऐसे मामले, जहां निष्पादन गारंटियों के आह्वान के कारण भारतीय पार्टी की निवल मालियत के 400 प्रतिशत के वित्तीय एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा भंग होती हो, वहां भारतीय पार्टी को ऐसे आह्वान के कारण भारत से निधियां प्रेषित करने से पूर्व रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक होगा ।"

(बी) उप-खंड (एफ) के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 28 मार्च 2012 से अंतर्विष्ट किया गया है:

"**(जी)** भारतीय पार्टी के समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) की ओर से निवासी बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के मूल्य का सौ प्रति शत, जो भारतीय पार्टी द्वारा प्रति गारंटी / संपार्श्विक द्वारा समर्थित है ।"

बी. विनियम 6 में, उप-विनियम (3) में, खंड (ii) में,

(ए) उप-खंड (जी) के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 27 मई 2011 से अंतर्विष्ट किया गया है:

"**(एच)** भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम (जेवी) / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को अथवा उनकी ओर से जारी निष्पादन गारंटी के मूल्य का पचास प्रति शत ।

स्पष्टीकरण: ऐसे मामले, जहां निष्पादन गारंटियों के आह्वान के कारण भारतीय पार्टी की निवल मालियत के 400 प्रतिशत के वित्तीय एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा भंग होती हो, वहां भारतीय पार्टी को ऐसे आह्वान के कारण भारत से निधियां प्रेषित करने से पूर्व रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक होगा ।"

(बी) उप-खंड (एच) के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 28 मार्च 2012 से अंतर्विष्ट किया गया है:

"**(आई)** भारतीय पार्टी के समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) की ओर से निवासी बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के मूल्य का सौ प्रति शत, जो भारतीय पार्टी द्वारा प्रति गारंटी/संपार्श्विक द्वारा समर्थित है ।"

सी. विनियम 6 में,

(ए) मौजूदा उप-विनियम (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 27 मई 2011 से प्रतिस्थापित किया गया है:

"(4) (i) कोई भारतीय पार्टी अनुमत वित्तीय प्रतिबध्दता के भीतर, समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम (जेवी) / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को अथवा उसकी ओर से ऋण अथवा गारंटी प्रदान कर सकती है, बशर्ते भारतीय पार्टी ने संयुक्त उद्यम की इक्विटी पूँजी में अंशदान के रूप में निवेश किया है ।

उल्लिखित विनियम के होते हुए भी, निम्नलिखित को भी अनुमति दी जाएगी ।

(ii) भारतीय पार्टी समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रचलित (अनुमत) सीमा के भीतर अपनी फर्स्ट जनरेशन स्टेप डाउन कार्यरत कंपनी की ओर से कार्पोरेट गारंटी प्रदान कर सकती है ।

स्पष्टीकरणः सेकंड स्तर अथवा अनुवर्ती स्तर की स्टेप डाउन कार्यरत सहायक कंपनियों की ओर से कार्पोरेट गारंटी जारी करना अनुमोदित मार्ग के तहत समझा जाएगा, बशर्ते भारतीय पार्टी ऐसी गारंटी जिस कंपनी के लिए जारी करना चाहती है उस समुद्रपारीय सहायक कंपनी में वह 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक स्टेक अप्रत्यक्ष रूप से धारण करती हो ।"

(बी) उप-विनियम (4) में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंडों (iii), (iv) और (v) को अंतर्विष्ट किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे 28 मार्च 2012 से अंतर्विष्ट किए गए हैं:

"(iii) भारतीय पार्टी के अप्रत्यक्ष निवासी व्यक्तिगत प्रवर्तक भारतीय पार्टी के समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) की ओर से व्यक्तिगत गारंटी जारी कर सकते हैं बशर्ते भारतीय पार्टी द्वारा विनियम 6 के तहत उपबंधों का पालन किया जाता है और इसके अलावा बशर्तेः
ए) गारंटियों के सभी फार्मों सहित कुल 'वित्तीय प्रतिबद्धता' भारतीय पार्टी द्वारा समुद्रपारीय निवेश के लिए विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा के भीतर रही हो और
बी) कोई गारंटी 'ओपन एंडेड' नहीं है ।

(iv) भारतीय पार्टी, रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ, संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) की ईक्विटी में अंशदान किए बिना वित्तीय प्रतिबद्धता कर सकती है बशर्ते वह भारतीय पार्टी की कारोबारी अपेक्षाओं और मेजबान (Host) देश की कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार हो।

(v) अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों (CCPS) को ईक्विटी शेयरों के समान माना जाएगा और भारतीय पार्टी को अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों (CCPS) के मार्फत संयुक्त उद्यम में अंशदान के आधार पर वित्तीय प्रतिबध्दताएं करने की अनुमति दी जाती है ।"

4. विनियम 15 में संशोधन

विनियम 15 में, उप-विनियम (iii) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (iv) जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 28 मार्च 2012 से जोड़ा गया है:

"(iv) जहाँ मेजबान देश का कानून संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लेखा-बहियों की लेखा परीक्षा करना अनिवार्य नहीं बनाता है, वहाँ उप-विनियम (iii) के तहत यथा उल्लिखित भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के आधार पर वार्षिक कार्य निष्पादन (APR) रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए बशर्तेः-
ए. भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा परीक्षक यह प्रमाणित करें कि 'संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के मामलों की सच्ची एवं सही तस्वीर पेश करते हैं' और
बी. कि संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे भारतीय पार्टी द्वारा समाहित कर लिए गए हैं और बोर्ड द्वारा उनकी अभिपुष्टि की गयी है ।

5. विनियम 16 में संशोधन

विनियम 16 में, मौजूदा विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम (1) और (1ए) प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 29 जून 2011 से प्रतिस्थापित किया गया है:

"(1) कोई भारतीय पार्टी उल्लिखित विनियम 6 के उपबंधों का पालन करती है अथवा भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को भारत से बाहर के किसी संयुक्त उद्यम(जेवी) अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी(डब्ल्यूओएस) के अपने शेयरों की अथवा अपनी प्रतिभूति का बिक्री के मार्फत निम्नलिखित शर्तों पर अंतरण कर सकती है:

(i) बिक्री का परिणाम किये गये निवेश में कोई राइट ऑफ (बट्टा) नहीं होना चाहिए;

(ii) स्टाक एक्स्चेंज, जहाँ समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, के माध्यम से बिक्री की जाए;

(iii) यदि शेयर स्टाक एक्स्चेंजों में सूचीबद्ध नहीं हैं और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था के तहत किया जाता है, तो शेयरों का मूल्य संयुक्त उद्यम (जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पिछले (लेटेस्ट) लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर उचित मूल्य के रूप में सनदी लेखाकार/प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा प्रमाणित मूल्य से कम नहीं होगा ;

(iv) भारतीय पार्टी को लाभांश, तकनीकी जानकारी शुल्क, रॉयल्टी, परामर्श, कमीशन अथवा अन्य हक़दारी और/अथवा जेवी/ डब्ल्यूओएस से निर्यातगत कोई प्राप्य राशि शेष न हो;

(v) समुद्रपारीय प्रतिष्ठान पिछले पूरे एक वर्ष कार्यरत रहा हो और उस वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखे के साथ वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गयी हो;

(vi) भारतीय पार्टी के विरूद्ध भारत में केंद्रीय जाँच ब्यूरो/प्रवर्तन निदेशालय/सेबी/आइआरडीए अथवा किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जाँच न की जा रही हो ।

(1ए) (i) भारतीय पार्टियां निम्नलिखित मामलों में रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विनिवेश कर सकती हैं जहाँ विनिवेश पर प्रत्यावर्तित की जानेवाली राशि मूल निवेश की राशि से कम हो:

(ए) जहाँ जेवी/ डब्ल्यूओएस समुद्रपारीय स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध है;

(बी) जहाँ भारतीय पार्टी भारत में स्थित किसी स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध है और जिसकी निवल मालियत 100 करोड़ रूपयों से कम नहीं है;

(सी) जहाँ भारतीय पार्टी गैर-सूचीबद्ध कंपनी है और विदेशी उद्यम में उसका निवेश 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है और

(डी) जहाँ भारतीय पार्टी 100 करोड़ रूपयों से कम निवल मालियत वाली सूचीबद्ध कंपनी है परंतु समुद्रपारीय जेवी/ डब्ल्यूओएस में जिसका निवेश 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है।

(ii) ऐसे विनिवेश विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (ii) से (iv) में सूचीबद्ध शर्तों के तहत होंगे ।

6. भाग । में नये विनियम का निवेशन

विनियम 16 के बाद, निम्नलिखित विनियम अंतर्विष्ट किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 27 मई 2011 से अंतर्विष्ट किया गया है:

"16ए संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के तुलन पत्र को पुन: संतुलित (रिस्ट्रक्चर) करना, जहाँ पूंजी तथा प्राप्य राशियां बट्टे खाते में डालना शामिल हो

(1) कोई सूचीबद्ध भारतीय पार्टी, जिसने विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी(डब्ल्यूओएस) स्थापित की है अथवा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम में न्यूनतम 51 प्रतिशत के स्टेक धारी है, वे संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों(डब्ल्यूओएस) में ईक्विटी निवेश के 25 प्रति शत तक संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों(डब्ल्यूओएस) के संबंध में पूंजी(ईक्विटी /अधिमानी शेयर) अथवा ऋण, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा प्रबंध शुल्क जैसी अन्य प्राप्य राशियां इस शर्त के अधीन बट्टे खाते में डाल सकते हैं कि भारतीय पार्टी छान-बीन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक को आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगी:

(i) भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यम(जेवी) /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में हानि दर्शानेवाले तुलन पत्र की प्रमाणित प्रति; और

(ii) बट्टे खाते में डालने/रिस्ट्रक्चरिंग के परिणामस्वरूप भारतीय कंपनी को मिलने वाले लाभों को दर्शाने वाला आगामी पांच वर्षों के लिए प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)।

(2) उप-विनियम (1) के तहत अनुमत बट्टे खाते में डालने/रिस्ट्रक्चरिंग किये जाने पर उसकी सूचना 30 दिनों के भीतर पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के जरिये रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की जानी है ।

(3) गैर-सूचीबद्ध भारतीय पार्टी, जिसने विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी(डब्ल्यूओएस) स्थापित की है अथवा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम में न्यूनतम 51 प्रतिशत के स्टेक धारी है, को अनुमोदित मार्ग के तहत संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में किए गए ईक्विटी निवेश के 25 प्रतिशत तक पूंजी तथा अन्य प्राप्य राशियां बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी जाती है ।"

7. विनियम 18ए का निवेशन

विनियम 18 के बाद, नये विनियम अर्थात 18ए को निम्नानुसार अंतर्विष्ट किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 28 मार्च 2012 से अंतर्विष्ट किया गया है:

"18ए अचल/चल संपत्तियों तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन (Creation)

भारतीय पार्टी, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ, अपनी और अपनी ग्रुप कंपनियों की अचल/चल संपत्तियां तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयरों से इतर) प्राधिकृत व्यापारी बैंक अथवा भारत में सार्वजनिक वित्तीय संस्था से समुद्रपारीय उधारदाता को अपने संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) के लिए निधि आधारित और/अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाएं लेने के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी/बंधक/दृष्टिबंधक के रूप में अंतरित कर सकती हैं बशर्ते उधारदाता किसी बैंक के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित है, भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में विदेशी निवेशों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर रहती है और भारतीय पार्टी और उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा उनके निवासी उधारदाताओं से 'अनापत्ति' प्रस्तुत की जाती है ।"

8. विनियम 20 में संशोधन

विनियम 20 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 28 मार्च 2012 से प्रतिस्थापित किया गया है:

"20. निवासी व्यक्तियों (individuals) द्वारा निवेश

(1) निवासी व्यक्तियों (individuals) किसी विदेशी कंपनी (entity) को दी गयी पेशेवर सेवाओं के प्रतिफल के एक भाग/पूरे प्रतिफल के लिए या निदेशक के रूप में प्राप्य पारिश्रमिक के एक भाग/पूरे पारिश्रमिक के बदले शेयर अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते मूल्य के अनुसार ऐसे शेयरों के अर्जन हेतु सीमा, ऐसे शेयरों के अर्जन के समय, उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत व्यक्तियों (individuals) हेतु लागू विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए।

(2) निवासी व्यक्ति (individual) किसी विदेशी कंपनी (entity) को दी गई पेशेवर सेवाओं के प्रतिफल या निदेशक के रूप में प्राप्य पारिश्रमिक के एक भाग/पूरे पारिश्रमिक के रूप में प्राप्य शेयरों, **यदि** उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो तो, **उनके** अर्जन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकता है ।

(3) रिज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित घटकों को ध्यान में लेने के बाद, निम्नलिखित शर्तों, जो आवश्यक हों, के अधीन अनुमति प्रदान कर सकता है:

(i) व्यक्ति की विश्वसनीयता और निवल मालियत तथा उनके व्यवसाय का स्वरूप;

(ii) उनकी विदेशी मुद्रा अर्जन की सीमा/उनके विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते और/अथवा आरएफसी खाते में शेष;

(iii) विदेशी कंपनी का वित्तीय और कारोबारी ट्रैक रिकार्ड;

(iv) देश में विदेशी मुद्रा अंतर्प्रवाह की संभाव्यता;

(v) देश को अन्य संभाव्य लाभ ।"

3337 GI/13-2

9. विनियम 22 में संशोधन:-

विनियम 22 में, उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 28 मार्च 2012 से प्रतिस्थापित किया गया है:

"(2) भारत में निवासी व्यक्ति, व्यक्ति होने के कारण, जो भारतीय कार्यालय अथवा किसी विदेशी कंपनी (एंटिटी) अथवा किसी विदेशी कंपनी (एंटिटी) की भारत में सहायक कंपनी अथवा भारतीय कंपनी का कर्मचारी अथवा निदेशक है, जिसकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ईक्विटी होल्डिंग है, ऐसी विदेशी कंपनी (एंटिटी) द्वारा प्रस्ताव किए गए शेयरों का स्वीकार कर सकता है, बशर्ते

(i) शेयर जारी करने वाली कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक आप्शन योजना (ESOPS) के अंतर्गत शेयरों के प्रस्ताव ग्लोबल स्तर पर एक समान रूप में किए गए हों; और

(ii) भारतीय कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंक के मार्फत विप्रेषणों/लाभार्थियों, आदि के ब्योरे देते हुए रिज़र्व बैंक को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जाए।

स्पष्टीकरण:- उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, 'अप्रत्यक्ष' का अर्थ 'ट्रस्ट/एसपीवी/स्टेप डाउन सहायक कंपनी के जरिये अप्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी होल्डिंग' है।"

10. विनियम 24 में संशोधन:-

विनियम 24 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ए) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 28 मार्च 2012 से प्रतिस्थापित किया गया है:

"(ए) भारत से बाहर गठित किसी कंपनी के निदेशक का पद धारण करने के लिए ऐसी कंपनी द्वारा जारी अर्हता शेयरों के रूप में विदेशी प्रतिभूतियों को अर्जित कर सकता है, बशर्ते:-

(i) कंपनी जिस देश में स्थित है उस मेजबान देश के कानूनों के अनुसार विनिर्दिष्ट सीमा तक अर्हता शेयर अर्जित करने के लिए विप्रेषण करने की अनुमति दी जा सकती है और

ऐसे अर्हता शेयरों के अर्जन के लिए विप्रेषण सीमा, तत्समय लागू, उस समग्र सीमा के अंदर होगी जिसे रिज़र्व बैंक ने उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत व्यक्तियों (individuals) द्वारा विप्रेषित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया हो।"

[सं. फेमा 277/2013-आर बी]

रश्मि फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-

(i) @प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) मूल विनियमावली 19 नवम्बर, 2004 को सं. सा.का.नि. 757(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

सं. सा.का.नि. 220(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2005
सं. सा.का.नि. 337(अ), तारीख 27 मई, 2005
सं. सा.का.नि. 552(अ), तारीख 31 अगस्त, 2005
सं. सा.का.नि. 535(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2006
सं. सा.का.नि. 13(अ), तारीख 5 जनवरी, 2008
सं. सा.का.नि. 209(अ), तारीख 25 मार्च, 2008
सं. सा.का.नि. 676(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2008
सं. सा.का.नि. 756(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2008
सं. सा.का.नि. 108(अ), तारीख 20 फरवरी, 2009
सं. सा.का.नि. 301(अ), तारीख 1 मई, 2009
सं. सा.का.नि. 441(अ), तारीख 23 जून, 2009
सं. सा.का.नि. 609(अ), तारीख 28 अगस्त, 2009
सं. सा.का.नि. 607(अ), तारीख 3 अगस्त, 2012
सं. सा.का.नि. 609(अ), तारीख 3 अगस्त, 2012
सं. सा.का.नि. 947(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2012
सं. सा.का.नि. 345(अ), तारीख 29 मई, 2013

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th May, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security)) (Fourth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 516(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated 7th July, 2000), namely :—

1. <u>Short Title & Commencement:-</u>

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Fourth Amendment) Regulations, 2013.

(ii) Each amendment shall be deemed to have come into force from the dates specified in these Regulations.@

2. <u>Amendment to Regulation 2</u>

In Regulation 2, in clause (f), for the words "the amount of direct investment by way of contribution to equity and loan and 100 per cent of the amount of guarantees", the following words, "the amount of direct investment by way of contribution to equity, loan and 100 per cent of the amount of guarantees and 50 per cent of the performance guarantees" shall be substituted and the same shall be deemed to have been substituted with effect from May 27, 2011.

3. <u>Amendment to Regulation 6</u>

A. In Regulation 6, in sub-regulation 2 (i)

(a) after sub-clause (e), the following shall be inserted and the same shall be deemed to have been inserted with effect from May 27, 2011:

> "(f) Fifty per cent of the value of performance guarantee issued by Indian Party to or on behalf of the JV/WOS.
>
> Explanation: In cases where invocation of the performance guarantees breach the ceiling for the financial exposure of 400 per cent of the net worth of the Indian Party, the Indian Party shall seek the prior approval of the Reserve Bank before remitting funds from India, on account of such invocation."

(b) after sub-clause (f), the following shall be inserted and the same shall be deemed to have been inserted with effect from March 28, 2012:

> "(g) hundred per cent of the value of the bank guarantee issued by a resident bank on behalf of an overseas JV / WOS of the Indian party, which is backed by a counter guarantee / collateral by the Indian party."

B. In Regulation 6, in sub-regulation (3), in clause (ii),

(a) after sub-clause (g) the following shall be inserted and the same shall be deemed to have been inserted with effect from May 27, 2011:

"(h) Fifty per cent of the value of performance guarantee issued by Indian Party to or on behalf of the JV/WOS.

Explanation: In cases where invocation of the performance guarantees breach the ceiling for the financial exposure of 400 per cent of the net worth of the Indian Party, the Indian Party shall seek the prior approval of the Reserve Bank before remitting funds from India, on account of such invocation."

(b) after sub-clause (h) the following shall be inserted and the same shall be deemed to have been inserted with effect from March 28, 2012:

"(i) hundred per cent of the value of the bank guarantee issued by a resident bank on behalf of an overseas JV / WOS of the Indian party, which is backed by a counter guarantee / collateral by the Indian party."

C. In Regulation 6,

(a) the existing sub-regulation (4) shall be substituted with the following and the same shall be deemed to have been substituted with effect from May 27, 2011:

"(4) (i) An Indian Party may extend a loan or a guarantee to or on behalf of the Joint Venture / Wholly Owned Subsidiary abroad, within the permissible financial commitment, provided that the Indian Party has made investment by way of contribution to the equity capital of the Joint Venture.

Notwithstanding the above regulation, the following shall also be permitted.

(ii) An Indian Party may extend corporate guarantee on behalf of its first generation step down operating company within the prevailing limit for overseas direct investment.

Explanation: Issue of corporate guarantee on behalf of second level or subsequent level step down operating subsidiaries will be considered under the Approval Route, provided the Indian Party indirectly holds 51 per cent or more stake in the overseas subsidiary for which such guarantee is intended to be issued."

(b) in sub-regulation (4), after clause (ii), the following clauses (iii), (iv) and (v) shall be inserted and the same shall be deemed to have been inserted with effect from March 28, 2012:

"(iii) The indirect resident individual promoters of the Indian party may issue personal guarantee on behalf of the overseas JV / WOS of the Indian party provided the provisions under Regulation 6 are fulfilled by the Indian party and further provided that:

a) total 'financial commitment' including all forms of guarantees remains within the overall ceiling stipulated for overseas investment by an Indian Party and

b) no guarantee is 'open ended'.

(iv) With prior approval of the Reserve Bank, an Indian party may undertake financial commitment without equity contribution in JV / WOS provided it is as per the business requirement of the Indian party and also as per the legal requirement of the host country.

(v) Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) shall be treated at par with equity shares and the Indian party is allowed to undertake financial commitment based on the contribution to JV by way of CCPS."

4. Amendment to Regulation 15

In Regulation 15, after sub-regulation (iii), the following sub-regulation (iv) shall be added and the same shall be deemed to have been added with effect from March 28, 2012:

"(iv) Where the law of the host country does not mandatorily require auditing of the books of accounts of JV / WOS, the Annual Performance Report (APR) as referred to under sub-regulation (iii) may be submitted by the Indian party based on the un-audited annual accounts of the JV / WOS provided:

a. The Statutory Auditors of the Indian party certify that 'The un-audited annual accounts of the JV / WOS reflect the true and fair picture of the affairs of the JV / WOS' and
b. That the un-audited annual accounts of the JV / WOS has been adopted and ratified by the Board of the Indian party."

5. Amendment to Regulation 16

In Regulation 16, for the existing sub-regulation (1), the following sub-regulations (1) and (1A) shall be substituted and the same shall be deemed to have been substituted with effect from June 29, 2011:

"(1) An Indian Party may transfer, by way of sale to another Indian Party which complies with the provisions of Regulation 6 above, or to a person resident outside India, any share or security held by it in a JV or WOS outside India subject to the following conditions:

(i) the sale does not result in any write off of the investment made;

(ii) the sale is to be effected through a stock exchange where the shares of the overseas JV/ WOS are listed;

(iii) if the shares are not listed on the stock exchange and the shares are disinvested by a private arrangement, the share price is not less than the value certified by a Chartered Accountant / Certified Public Accountant as the fair value of the shares based on the latest audited financial statements of the JV / WOS;

(iv) the Indian Party does not have any outstanding dues by way of dividend, technical know-how fees, royalty, consultancy, commission or other entitlements and / or export proceeds from the JV or WOS;

(v) the overseas concern has been in operation for at least one full year and the Annual Performance Report together with the audited accounts for that year has been submitted to the Reserve Bank;

(vi) the Indian party is not under investigation by CBI / DoE / SEBI / IRDA or any other regulatory authority in India.

(1A) (i) In the following cases, an Indian Party may disinvest, if the amount to be repatriated on disinvestment is less than the amount of the original investment:

(a) where the JV / WOS is listed in the overseas stock exchange;

(b) where the Indian Party is listed on a stock exchange in India and has a net worth of not less than Rs.100 crore;

(c) where the Indian Party is an unlisted company and the investment in the overseas venture does not exceed USD 10 million and

(d) where the Indian Party is a listed company having a net worth of less than Rs.100 crore but investment in an overseas JV/WOS does not exceed USD 10 million.

(ii) Such disinvestments shall be subject to the conditions listed in clause (ii) to (vi) of sub-regulation (1) of Regulation 16.

6. **Insertion of new Regulation in Part I:-**

After Regulation 16, the following Regulation shall be inserted and the same shall be deemed to have been inserted with effect from May 27, 2011:

"**16A Restructuring of the balance sheet of JV/WOS involving write-off of capital and receivables**

(1) A listed Indian Party, who has set up WOS abroad or have at least 51 per cent stake in an overseas JV, may write off capital (equity / preference shares) and other receivables, such as loans, royalty, technical knowhow fees and management fees in respect of the JV / WOS up to 25 per cent of the equity investment in the JV / WOS subject to condition that the Indian Party should submit the following documents for scrutiny along with the applications to the designated AD Category-I bank:

(i) A certified copy of the balance sheet showing the loss in the overseas JV / WOS set up by the Indian Party; and

(ii) Projections for next five years indicating benefit accruing to the Indian Party consequent to such write off / restructuring.

(2) The write-off / restructuring allowed under sub-regulation (1) has to be reported to the Reserve Bank through the designated AD category I bank within 30 days of write-off / restructuring.

(3) An unlisted Indian Party, who has set up WOS abroad or have at least 51 per cent stake in an overseas JV, is permitted to write off capital and other receivables up to 25 per cent of the equity investment in the JV /WOS under the Approval Route."

7. **Insertion of Regulation 18A**

After Regulation 18, a new Regulation viz. 18A shall be inserted as under and the same shall be deemed to have been inserted with effect from March 28, 2012:

"**18A Creation of charge on immovable / movable property and other financial assets**

An Indian Party, with prior approval of the Reserve Bank, may transfer, by way of mortgage / pledge / hypothecation, the immovable / movable property and other financial assets (except

shares of JV / WOS) of the Indian party and its group companies as a security for availing of fund based and/or non-fund based facilities for its JV or WOS from an authorised dealer bank or a public financial institution in India or to an overseas lender, provided the lender is regulated and supervised as a bank, the total financial commitment of the Indian Party remains within the limit stipulated by the Reserve Bank for overseas investments in JV/WOS and a 'No Objection' is submitted by the Indian party and its group companies from their resident lenders."

8. Amendment to Regulation 20:-

Regulation 20 shall be substituted with the following and the same shall be deemed to have been substituted with effect from March 28, 2012:

"20. Investment by Individuals

(1) A resident individual may acquire shares of a foreign entity in part / full consideration of the professional services rendered to the foreign entity or in lieu of director's remuneration, provided the limit of acquiring such shares in terms of value shall be within the overall ceiling prescribed for the resident individuals under the Liberalized Remittance Scheme (LRS) in force at the time of acquisition.

(2) A resident individual may apply to the Reserve Bank for permission to acquire shares of a foreign entity in part / full consideration of the professional services rendered to the foreign entity or in lieu of director's remuneration in case the limit prescribed under the Liberalized Remittance Scheme (LRS) exceeds.

(3) Reserve Bank may, after taking into account, inter alia, the following factors, grant permission subject to such terms and conditions as are considered necessary:

(i) credentials and net worth of the individual and the nature of his/her profession;

(ii) the extent of his/her forex earnings / balances in his EEFC and / or RFC account;

(iii) financial and business track record of the foreign entity;

(iv) potential for forex inflow to the country;

(v) other likely benefits to the country."

9. Amendment to Regulation 22:-

In Regulation 22, the sub-regulation (2) shall be substituted with the following and the same shall be deemed to have been substituted with effect from March 28, 2012:

"(2) A person resident in India, being an individual, who is an employee or a director of Indian office or branch of a foreign entity or of a subsidiary in India of a foreign entity or of an Indian company in which foreign entity has direct or indirect equity holding, may accept the shares offered by such foreign entity provided that:

(i) the shares under the ESOP Scheme are offered by the issuing company globally on uniform basis, and

(ii) an Annual Return is submitted by the Indian company to the Reserve Bank

through the Authorised Dealer bank giving details of remittances / beneficiaries etc.,

Explanation: - For the purpose of this sub-regulation, 'indirect' means 'indirect foreign equity holding through a trust / special purpose vehicle/ a step down subsidiary'."

10. **Amendment to Regulation 24**:-

In Regulation 24, in sub-regulation (1), the clause (a) shall be substituted with the following and the same shall be deemed to have been substituted with effect from March 28, 2012:

"(a) acquire foreign security as qualification shares issued by an entity incorporated outside India for holding the post of a director in the entity provided that:

(i) the extent of acquiring the qualification shares is as per the law of the host country where the entity is located and

(ii) the limit of remittance for acquiring such qualification shares shall be within the overall ceiling prescribed for the resident individuals under the Liberalized Remittance Scheme (LRS) in force at the time of acquisition."

[No. FEMA. 277/2013-RB]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note:

(i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide G.S.R. No 757 (E) dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide :

G.S.R. No. 220 (E) dated April 7, 2005,
G.S.R. No. 337 (E) dated May 27, 2005,
G.S.R. No. 552 (E) dated August 31, 2005,
G.S.R. No. 535 (E) dated September 6, 2006,
G.S.R. No.13 (E) dated January 5, 2008,
G.S.R. No. 209(E) dated March 25, 2008,
G.S.R. No.676 (E) dated September 24, 2008,
G.S.R. No. 756 (E) dated October 31, 2008,
G.S.R. No.108 (E) dated February 20, 2009,
G.S.R. No. 301(E) dated May 1, 2009,
G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009,
G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009,
G.S.R. No. 607(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 609(E) dated August 3, 2012,
G.S.R. No. 947 (E) dated November 22, 2012,
G.S.R. No. 345 (E) dated May 29, 2008,

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.